न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 28 / 2021

प्रार्थी

1. जवाराराम पुत्र पाताजी जाति घांची निवासी बडगांव तहसील रानीवाडा ,जालोर

अप्रार्थीगण

1. मृतक धुकसिंह पुत्र सोना के कायम मुकाम वारीसान :–
   1 / 1 जमनादेवी पत्नि धुकसिंह
   1 / 2 अमरसिंह पुत्र धुकसिंह
   1 / 3 जोरसिंह पुत्र धुकसिंह
   1 / 4 मोवनदेवी पुत्री धुकसिंह
   1 / 5 इन्दिरादेवी पुत्री धुकसिंह
   1 / 6 हेतलदेवी पुत्री धुकसिंह
   1 / 7 मफीदेवी पुत्री धुकसिंह
   1 / 8 कसीदेवी पुत्री धुकसिंह
2. मृतक बाबू पुत्र तगा के का.मू. वारीसान :–
   2 / 1 तलसीदेवी पत्नि बाबू
   2 / 2 कालूसिंह पुत्र बाबू
   2 / 3 किशनसिंह पुत्र बाबू
   2 / 4 गोविन्दसिंह पुत्र बाबू
   2 / 5 राजूसिंह पुत्र बाबू
   2 / 6 कमलादेवी पुत्री बाबू
   2 / 7 दशरथकंवर पुत्री बाबू
3. मृतक वंशा पुत्र तगा के का.मू. वारीसान :–
   3 / 1 जालमसिंह पुत्र वंशा
   3 / 2 रमेशसिंह पुत्र वंशा
   3 / 3 हीरसिंह पुत्र वंशा
   3 / 4 त्रिजोदेवी पत्नि वंशा
   3 / 5 पंखुदेवी पुत्री वंशा जातियान रावणा राजपूत
4. अमरसिंह पुत्र धुकसिंह
5. जोरसिंह पुत्र धुकसिंह जातियान रजपूत निवासीयान बडगांव तहसील रानीवाडा
6. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:52:17 IST
Reason: SelfAttested

अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 1/1 से 2/2 व 2/4 से 2/7, 4, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री जानू मेघवाल उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 24.05.2022

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा मौजा बडगांव के खसरा नम्बर 1301, 1302, व 1303 जुमले रकबा 0.69 हेक्टेयर में आवागमन हेतु धारा 251 ए के तहत रास्ता की मांग की गई थी। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार रानीवाडा से मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 04.09.2016, 07.01.2017, 22.03.2018,व 24.09.2019 को अलग अलग मौका रिपोर्ट पेश हुई। दिनांक 24.9.2019 को हल्का पटवारी की जो मौका रिपोर्ट पेश हुई उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 1301, 1300,व 1302 रकबा 0.69 हेक्टेयर में आवागमन हेतु पहूंच का सबसे नजदीक स्थान मौजा बडगांव के खसरा नम्बर 804 जो गै.मू. रास्ता है से खसरा नम्बर 1301 में प्रवेश होता है। उक्त रास्ता मौका रिपोर्ट में मार्क सी से डॉटेड लाईन करते हुए दर्शाया है। प्रार्थी के उक्त खसरान में पहुचने का कोई रास्ता नहीं है। व प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। व प्रस्तावित जगह में कोई निर्माण कार्य भी किया हुआ नही है। खसरा नम्बर 803 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 3 खसरा नम्बर 1283 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 4 व 5 है। खातेदार शंकरा पुत्र तगा लाऔलाद फौत हुए है। उनके प्रथम श्रेणी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तथा द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी प्रकरण हाजा में संयोजित किये हुये है। उक्त पूर्व का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जो श्रीमानजी की अदालत में पेश किया था, वह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.02.2022 को नया प्रार्थना पत्र पेश करने की अनुमति के साथ खारीज किया था। तथा रिपोर्ट दिनांक 24.09.2019 के अनुसार निकटतम दूरी से रास्ता के बीच आने वाले खसरा नम्बर 803 व 1283 के खातेदार को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है, अन्य कोई आवागमन का रास्ता नहीं हैं तथा प्रार्थी की आराजी मय रहवासीय ढाणी में आवागमन हेतु तथा अपने कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु तथा स्कूली बच्चों के आवागमन हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हल्का पटवारी बडगांव की रिपोर्ट अनुसार तथा प्रार्थना पत्र में संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए से बी स्थान के बीच में रास्ते को दिया जाना न्याय हित में है। प्रार्थी डी.एल.सी. दर अनुसार नियमानुसार प्रतिकर देने हेतु तैयार है।
2. अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा पेश धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता दिलवाने के प्रार्थना पत्र में उक्त अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को पक्षकार बनाया जाकर उक्त अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 803 व अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1283 की आराजी में से मौका रिपोर्ट में अंकित प्रस्तावित रास्ता अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाने के आदेश फरमावें।
3. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों का नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 2/3, 3/1 से 3/5 बजरिये नोटिस तामील होने से अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1/1 से 2/2 व 2/4 से 2/7, 4 व 5 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:52:17 IST
Reason: SelfAttested

4. अप्रार्थी संख्या 1/1 से 2/2 व 2/4 से 2/7, 4 व 5 की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा कई बार अलग अलग खातेदारों को तंग व परेशान करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर चुका है तथा न्यायालय हाजा में हल्का पटवारी द्वारा दिनांकक 04.09.2016, 07.01. 2017, 22.03.2018 व 24.09.2019 को अलग अलग खातेदारों में से रास्ते बाबत मौका रिपोर्ट पेश की है, जबकि आज दिन तक वास्तविक रिपोर्ट पेश नहीं की है। दिनांक 24.09.2019 को हल्का पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की वो बिना मौका देखे पेश की गयी है। तथा मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1301 में प्रवेश होता हैं तथा मौका रिपोर्ट के साथ नक्शा ट्रेस में हल्का पटवारी ने रास्ता हेतु उचित जगह अपने सी मार्क से डॉटेड लाईन करते हुए खसरा नम्बर 1301 प्रार्थी के खेत में प्रवेश ष्बताया हैं जो सरासर गलत है, क्योकिं उक्त स्थान पर अप्रार्थीगण के रहवासी मकान, बोरवेल कुआ व मंदिर बीच में आये हूये है। उपरोक्त जगह पर पक्का निर्माण कार्य किया हुआ है। हल्का पटवारी के द्वारा बिना देखे दिनांक 24.09.2019 को गलत मौका रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश की हैं, तथा प्रार्थी के खेत में जाने के लिए अन्य जगह से निकट दुरी का रास्ता मौजूद हैं तथा हल्का पटवारी रिपोर्ट में दर्शाए गये रास्ते में अप्रार्थीगण के रहवासीय मकान व मंदिर बोरवेल कुआ बीचों बीच आये है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता मौजूद हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मनगढंत तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारीज फरमावें।
5. अप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पेश मौका जांच रिपोट का अवलोकन किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 1300, 1301, 1302 रकबा 0.69 हेक्टेयर जवारा वल्द पाता जाति घांची व खसरा नम्बर 1303 रकबा 0.25 हेक्टेयर जवानमल रणजीतसिंह वगैरा है। इन खसरों में पहुचने के लिए कोई रास्ता नही है। एंव इन्हे रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। किस्म गै.मू. रास्ता से खसरा नम्बर 1301 की दूरी 154 मीटर व खसरा नम्बर 1303 की दूरी 296 मीटर है। नक्शे में सी से डी प्रदर्शित है। प्रस्तावित मार्ग में अन्य कोई संरचना वृक्षादि, पहाड, नाडी नही है।
6. हमने प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत जबाव व दस्तावेज एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 1301, 1300 व 1302 कुल रकबा 0.69 हैक्टेयर मौजा बड़गांव की जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 170 में दर्ज है। तथा मौजा बडगांव के खसरा नम्बर 803 रकबा 0.54 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व खसरा नम्बर 1283 रकबा 0.29 हेक्टेयर अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 6 की और से जवाब मे खसरा नम्बर 803 व 1283 में से नजदीकतम रास्ता बताया है। तथा खसरा नम्बर 803 व 1283 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता द्वारा जवाब व बहस में बताया कि उक्त प्रस्तावित रास्ते के मध्य रहवासी मकान, बोरवेल, कुआ व मंदिर बीच में आए हुए है। व उक्त स्थान पर पक्का निर्माण कार्य किया हुआ है। इस संबंध में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे प्रस्तावित रास्ते के मध्य अवरोध होना साबित होता हों। तहसीलदार रानीवाडा [illegible] मौका जांच रिपोर्ट में अवरोध नही बताया गया है। तहसीलदार रानीवाडा [illegible] जवाब में प्रार्थी के खसरान से सरकारी रेकर्ड रास्ता खसरा नम्बर 804 किस्म गै.मू. रास्ता से खसरा नम्बर 1301 की दूरी 154 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 616 वर्गमीटर है। जिसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:52:17 IST
Reason: SelfAttested

डी0एल0सी0 दर 531810 रूपये प्रति हैक्टेयर है। उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

7. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के खसरा नम्बर 1301, 1300 व 1302 में से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 803, व 1283 मे सें रास्ता दिया जाता है। जिससे रास्ते की लम्बाई 154 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 616 वर्गमीटर है। जो आगे खसरा नम्बर 804 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से जोडता है। उक्त खसरान की डी.एल.सी दर 531810 रूपये प्रति हैक्टर दर्शाई है। उक्त दर या वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की दर में वृद्वि हो तो उसकी दुगुनी प्रतिकर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट अप्रार्थी सख्या 1 से 5 के हिस्से अनुसार अदा करने हेतु प्रार्थी से मंगवाकर भुगतान करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेश दिया जाता है। प्रार्थी द्वारा डिमाण्ड़ ड्राफ्ट से अप्रार्थीगण के नाम जारी करवा कर पेश करने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को प्रतिकर की राशि का भुगतान करे तथा भुगतान की प्राप्ति इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तत्पश्चात तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अपने जवाब मे प्रस्तुत राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से मार्क सी से लम्बाई 154 व चौडाई 4 कुल क्षेत्रफल 616 वर्गमीटर का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करें तथा उक्त रास्ते की नक्शा लट्ठा मे तरमीम की जावे। निर्णय की प्रर्ति तहसीलदार रानीवाड़ा को पालना हेतु भेजी जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:52:17 IST
Reason: SelfAttested